जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 02.03.2024**

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

आज दिनांक 02.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 01.03.2024 को वादी श्री विपिन पुत्र अनंगपाल निवासी ग्राम लिलोन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा उसके भाई अनित के साथ उसकी पत्नि द्वारा मारपीट करने व उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अनु पत्नि स्व0 अनित निवासी ग्राम लिलोन थाना कोतवाली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.व0उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री यूनुस खान थाना कोतवाली जनपद शामली।

3.म0का0 शीतल थाना कोतवाली जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना</u>

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भड़ी भरतपुरी में दो पक्षों में हुए झगडे में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 01.03.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भड़ी भरतपुरी में दो पक्षो में आपसी कहासुनी को लेकर आपस में लाठी डन्डों व ईट-पत्थर से मारपीट की गई थी। जिसके संबंध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा लड़ाई झगड़े में प्रयुक्त ईंट-पत्थर व लाठी डण्डा बरामद कर दोनों पक्षों के 21 अभियुक्तों को नामजद करते हुए थाना झिंझाना पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को उपरोक्त लडाई-झगड़े में शामिल अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 02.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भड़ी भरतपुरी में दो पक्षों में हुए झगडें में शामिल 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

<u>नाम पता गिरफ्तार वांछित अभियुक्तगणः-</u>

1.इश्तकार पुत्र अकबर अली नि0 ग्राम भडी भरतपुरी थाना झिंझाना जनपद शामली

2.जावेद पुत्र शौकत नि0 ग्राम भडी भरतपुरी थाना झिंझाना जनपद शामली

<u>आपराधिक इतिहास अभि0 इश्तकार उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0-315/18 धारा 323/420/406/392 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0-645/10 धारा 324/506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0-207/23 धारा 323/324/504 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 81/2024 धारा 147/148/149/323/336/504/506 भादवि0 व 7 सीएल एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहास अभि0 जावेद उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 81/2024 धारा 147/148/149/323/336/504/506 भादवि0 व 7 सीएल एक्ट थाना झिंझाना जनपद सामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री जनेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री यशवीर थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 राहुल मलिक थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0का0 मनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.का0 नितिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये सीमेंट के 10 बैग बरामदः-

आज दिनांक 02.03.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी किये गये सीमेंट के 10 बैग सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 01.03.2024 को श्री धीरज कुमार पुत्र श्री राजकुमार शर्मा निवासी ग्राम लांक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ने ग्राम डुन्डूखेड़ा में सीसी निर्माण कार्य के लिये उप स्वास्थय केन्द्र डुन्डूखेड़ा में रखे 10 सीमेंट के बैग अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.हारुण पुत्र लतीफ निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किये गये 10 सीमेंट के बैग।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सुनील दत्त थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 कुलदीप कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में दुष्कर्म के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई 07 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।</u>

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र रहमतुल्ला निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना कांधला जनपद शामली द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। **जिसके क्रम में आज दिनांक 02.03.2024 को माननीय न्यायालय पोक्सो कोर्ट-1 मुजफ्फरनगर द्वारा दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त मुस्तकीम उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 376 भादवि में 07 वर्ष कठोर के कारावास की सजा व 15,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया**। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.मुस्तकीम पुत्र रहमतुल्ला निवासी ग्राम अम्बेहटा थाना कांधला जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI